

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI  
DEPARTMENT OF FOOD SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS  
'K'-BLOCK, VIKAS BHAWAN, IP ESTATE, NEW DELHI-110002

---

**PUBLIC NOTICE**

Fresh applications for ration cards and for addition of members will be accepted through the e-District Portal ([edistrict.delhigovt.nic.in](http://edistrict.delhigovt.nic.in)) from 15.05.2026.

Old and long-pending applications are being returned to the applicants' e-District login for resubmission with the required Family Income Certificate issued by the jurisdictional Revenue Authority. Applicants are requested to check the "Pending for Submission" section under the "Apply Online" menu in their e-District login.

For assistance, please call Helpline No. 1967.

**सार्वजनिक सूचना**

नए राशन कार्ड तथा राशन कार्ड में सदस्यों को जोड़ने के आवेदन 15.05.2026 से ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल ([edistrict.delhigovt.nic.in](http://edistrict.delhigovt.nic.in)) के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे।

पुराने एवं लंबे समय से लंबित आवेदनों को आवश्यक पारिवारिक आय प्रमाण पत्र सहित पुनः जमा करने हेतु आवेदकों के ई-डिस्ट्रिक्ट लॉगिन में वापस भेजा जा रहा है। यह प्रमाण पत्र संबंधित राजस्व प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए। आवेदकों से अनुरोध है कि वे अपने ई-डिस्ट्रिक्ट लॉगिन में "Apply Online" मेनू के अंतर्गत "Pending for Submission" अनुभाग की जांच करें।

किसी भी सहायता हेतु हेल्पलाइन नंबर 1967 पर संपर्क करें।